# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**निगरानी संख्या–1036 / 2016 / बांसवाड़ा**

आशुतोष हिरण पुत्र श्री शम्भूलाल जी हिरण, आयु 31 वर्ष, जाति जैन, निवासी 30, नाथेलाव कॉलोनी, बांसवाड़ा (राजस्थान) ...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर मुद्रांक, उदयपुर।
2. शान्तिलाल पुत्र श्री चम्पालाल, आयु 72 वर्ष, जाति जैन, निवासी पालोदा, हाल बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) ...अप्रार्थीगण

**एकलपीठ**
**श्री नत्थूराम, सदस्य**

**उपस्थित :**
श्री पी. गण्डेविया व श्री शफीक मोहम्मद शेख
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 विभाग की ओर से
तामील स्तर पर ...अप्रार्थी संख्या 2

**निर्णय दिनांक : 31.01.2017**

**निर्णय**

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर कैम्प बांसवाड़ा (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 12.10.2011 प्रकरण संख्या 20 / 2009 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने कलक्टर मुद्रांक उदयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक विक्रय पत्र दिनांक 26.04.2007 उपंपजीयक बांसवाड़ा के यहां पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया था जिसको पंजीयन कर प्रार्थी को लौटा दिया था। इसके पश्चात् दिनांक 23.06.2009 को ए.जी. निरीक्षण के दौरान कमी मुद्रांक कथित दस्तावेज पर होने के कारण प्रकरण का रेफरेन्स कलक्टर मुद्रांक उदयपुर को किया गया। रेफरेन्स इस बिन्दु पर आधारित था कि प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति जैल रोड बस स्टेण्ड से चन्द्रपोल गेट तक मोचीवाडा होते हुये मानकर मूल्यांकन किया है जबकि सम्पत्ति गांधी मूर्ति चौराहे से कस्टम चौराहे तक पुराना जैल रोड पर

लगातार..................2

स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी ने निर्धारित मुद्रांक शुल्क की जो मांग की गई थी, को उचित नहीं बताते हुए अपना जवाब दिनांक 18.12.2009 प्रस्तुत किया साथ ही इसी भूमि से लगती हुई भूमि जो जैल रोड बांसवाडा पर स्थित थी, के अलग–अलग बेचाननामे तथा नगर पालिका बांसवाडा द्वारा लीज डीड जो निष्पादित की गई थी जिसमें प्रार्थी द्वारा अपने बेचाननामे को मूल्यांकन किया था जो राशि के संदर्भ में दस्तावेजात् प्रस्तुत किये। अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 12.10.2011 द्वारा आदेश पारित करते हुए प्रार्थी की आपत्तियां निरस्त की गई व सम्पत्ति का मूल्यांकन 31,95,478/– रूपये निर्धारित किया व कमी मुद्रांक कर 1,39,226/– रूपये व कमी पंजीयन शुल्क 14,460/– रूपये एवं शास्ति 314/– रूपये कुल 1,54,000/– रूपये वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

**3.** निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। रिकार्ड व तलबी की कार्यवाही अभी विचाराधीन है परन्तु प्रकरण में विचाराधीन बिन्दु अन्य निगरानी संख्या 358/2012/बांसवाडा निर्णय दिनांक 09.01.17 से लगभग समान होने कारण उभयपक्ष की सहमति पर प्रकरण का इसी स्तर पर निस्तारण किया जाना उचित मानते हुए बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी।

**4.** विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि कलक्टर मुद्रांक उदयपुर का निर्णय एक नॉन स्पीकिंग एवं साईक्लोस्टाईल ऑर्डर है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का ना तो हवाला देकर सम्पत्ति जो जैल रोड पर स्थित थी, के संबंध में पूर्व बेचाननामे आदि अवलोकन किये बिना ए.जी. द्वारा जो आपत्ति की गई थी जो स्वीकार कर प्रार्थी के साथ घोर अन्याय किया है। कलक्टर मुद्रांक उदयपुर ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अकारण ही एक पक्षीय आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से प्रार्थी के साथ घोर अन्याय किया गया है। कलक्टर मुद्रांक उदयपुर ने सम्पत्ति जो जैल रोड बस स्टैण्ड से चन्द्रपोल गेट तक मोचीवाडा होते हुए की डी.एल.सी. के अनुसार, मौका निरीक्षण किये बिना ए.जी. की

सिफारिश के आधार पर कमी मुद्रांक का आदेश पारित करने में भारी गलती की है। कलक्टर मुद्रांक ने इस बात को नरजअंदाज किया है कि प्रार्थी ने जैल रोड बस स्टैण्ड से चन्द्रपोल गेट तक मोचीवाडा होते हुए की दर से मुद्रांक की राशि अदा कर बेचाननामा निष्पादित करवाया था जो विधिवत् होने से उपपंजीयक बांसवाडा ने उचित मानते हुए बेचाननामा पंजीकृत कर प्रार्थी ने असल दस्तावेज लौटा दिया था। उस कारण कलक्टर मुद्रांक द्वारा कमी मुद्रांक बताकर जो आदेश पारित किया है त्रूटिपूर्ण है विधि विरूद्व है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. हमनें पत्रावली का अवलाकेन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. निगरानी में निगरानीकर्ता का मुख्य आधार यह है कि कलक्टर मुद्रांक उदयपुर का निर्णय एक नॉन स्पीकिंग एवं साईक्लोस्टाईल ऑर्डर है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का ना तो हवाला देकर सम्पत्ति जो जैल रोड पर स्थित थी, के संबंध में पूर्व बेचाननामे आदि अवलोकन किये बिना ए.जी. द्वारा जो आपत्ति की गई थी जो स्वीकार कर प्रार्थी के साथ अन्याय किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई मौका निरीक्षण व जांच किये रेफरेन्स स्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

रेफरेन्स ऑडिट आक्षेप के इस बिन्दु पर आधारित था कि प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति जैल रोड बस स्टेण्ड से चन्द्रपोल गेट तक मोचीवाडा होते हुये मानकर मूल्यांकन किया है जबकि सम्पत्ति गांधी मूर्ति चौराहे से कस्टम चौराहे तक पुराना जैल रोड पर स्थित हैं तथा इसी अनुरूप डी.एल.सी. के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय द्वारा रेफरेन्स के तथ्यों को स्वीकार किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न तो रेफरेन्स के

तथ्यों की राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अनुसार जांच की है व न ही अपने निर्णय में तथ्यों के संबंध में कोई विवेचना या विश्लेषण किया है। निगरानी के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 33/08 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2010 में सम्पत्ति के लोकेशन के संबंध में इसी विवाद बाबत् रेफरेन्स अस्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं। किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स

(Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been

लगातार..................5

properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है तथा निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य है।

**9.** प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि सम्पत्ति की लोकेशन कहा है अर्थात् सम्पत्ति जेल रोड बस स्टेण्ड से चन्द्रपोल गेट तक मोचीवाड़ा होते हुए पर स्थित है या गांधी मूर्ति चौराहे से कस्टम चौराहे तक पुराना जेल रोड पर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई जांच नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए जांच कर व 65(4)(iv) के अन्तर्गत उभयपक्ष को नोटिस देकर स्थल निरीक्षण कर संपत्ति का लोकेशन का निर्धारण करना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार एंव विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नही है।

**10.** उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 12.10.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए एवं राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2017 को पेश हों।

**11.** निर्णय सुनाया गया।

( नत्थूराम )
सदस्य